

राजस्थान सरकार


वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : 02 DEC 2025

सं. एफ. 2(38)वित्त/कर/2009-117:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(38)वित्त/कर/2009-117 दिनांक 13.11.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,



(नथमल डिंडेल)

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : नवम्बर 13, 2025

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 2(38) वित्त/कर/2009-164 दिनांक 01.03.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, संनिर्मित भाग के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए दरें इसके द्वारा निम्नानुसार अवधारित करती है:-

क्र.सं	संनिर्माण के प्रवर्ग	दरें
1.	क्रम संख्यांक 2,3,4 और 5 के सामने विनिर्दिष्ट संनिर्माण के प्रवर्गों से भिन्न आरसीसी छत के साथ संनिर्माण	1800/- रुपया प्रति वर्ग फीट
2.	तहखाना, भीतरी मल्टीप्लेक्स के साथ बहुमंजिला भवन वाले शॉपिंग मॉल	2100/- रुपया प्रति वर्ग फीट
3.	तहखाना के साथ और मल्टीप्लेक्स के बिना बहुमंजिला भवन वाले शॉपिंग मॉल	2000/- रुपया प्रति वर्ग फीट
4.	पांच सितारा और उससे ऊपर की सुविधाओं के साथ होटल और क्लब	2500/- रुपया प्रति वर्ग फीट
5.	पांच सितारा सुविधाओं से नीचे होटल और क्लब	2100/- रुपया प्रति वर्ग फीट
6.	पट्टी छत के साथ संनिर्माण	1000/- रुपया प्रति वर्ग फीट

(N)

7.	कच्चा/गीली मिट्टी और केलुपोश संनिर्माण	250/- रुपया प्रति वर्ग फीट
8.	छत के साथ किंतु प्लास्टर, फर्श, सैनटरी, विद्युत इत्यादि के बिना ढांचा	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 और, यथास्थिति, 6 पर दरों का 50 प्रतिशत।
9.	छत के बिना ढांचा	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 पर दर का 25 प्रतिशत।
10.	प्लिंथ स्तर तक संनिर्माण	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 पर दर का 10 प्रतिशत।
11.	औद्योगिक शेड/गोदाम	5000/- रुपया प्रति वर्ग मीटर
12.	औद्योगिक शेड से भिन्न शेड	3000/- रुपया प्रति वर्ग मीटर
13.	सीमा दीवाल	500/- रुपया प्रति रनिंग मीटर

टिप्पण: उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग में नहीं आने वाले संनिर्माण का बाजार मूल्य, महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(सं. एफ. 2 (38)वित्त/कर/2009-117)

राज्यपाल के आदेश से,

ह0

(नथमल डिंडेल)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव